

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या-119/2021

(अपील संख्या-685/2021)

हेमा शर्मा

—प्रार्थी—अपीलार्थी

बनाम

1. श्री पवन कुमार गोयल, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. डॉ. दीरधराम रामस्नेही, निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, शिक्षा संकुल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।

—अप्रार्थीगण—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.09.2021

आदेश की दिनांक : 07.06.2023

उपस्थित :-

प्रार्थी—अपीलार्थी की ओर से : श्री महेश चन्द गुप्ता, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)

चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

- 1- प्रार्थी—अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह अभिकथन किया है कि अप्रार्थीगण—प्रत्यर्थीगण ने अधिकरण के अपील संख्या 685/2021 में दिनांक 07.07.2021 को पारित आदेश (अनुलग्नक-1) की पालना आदिनांक तक नहीं की है। अधिकरण के पूर्वोक्त आदेश दिनांक 07.07.2021 का प्रभावी भाग (Operating Part) निम्न प्रकार है :-

“In view of the above discussion it is clarified that the rules of 2015 as amended in 2018 cannot be enforced retrospectively for the vacancies of 2015-16. Ideally the department should have worked out the vacancies year-wise, prepare the seniority list year-wise and consider the cases of promotion and thereafter it could have carried forward the unfilled vacancies in terms of the rules issued by the DOP vide its order dated 4.6.2008. We therefore, deem it fit to direct the respondents to carry out a review DPC for the year 2015-16 as prayed and to consider the case of appellant by taking into account her qualification and eligibility as under Rules of 1977 and as per seniority list dated 1.4.2014 wherein the name of the appellant

appeared at S.No.50 and pass an order of promotion if she is found fit by the DPC, she may be considered for promotion.

The appeal stands disposed of accordingly."

2. उनका आगे अभिकथन है कि प्रत्यर्थागण जानबूझ कर अधिकरण के आदेश की पालना नहीं कर रहा है एवं माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 07.07.2021 की बिना उचित कारण के जानबूझ कर अवहेलना की जा रही है, जो कि माननीय अधिकरण के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है एवं माननीय अधिकरण के आदेश की अवहेलना के लिए दोषी है।
3. अतः अवमानना प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि प्रत्यर्था विभाग से माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 07.07.2021 (अनुलग्नक-1) की पालना करवायी जावे और पालना नहीं करने की स्थिति में प्रत्यर्था विभाग के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही प्रारम्भ कर माननीय उच्च न्यायालय को दण्ड हेतु रैफर किया जावे।
4. प्रत्यर्था विभाग की ओर से अवमानना याचिका का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.02.2007 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार द्वारा रिट याचिका संख्या 14005/2008 प्रस्तुत की गयी है। जिस रिट याचिका को माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 02.05.2022 के द्वारा खारिज कर दिया है। रिट याचिका खारिज होने के एक वर्ष उपरान्त अपीलार्थी के सम्बन्ध में अधिकरण के आदेश की पालना नहीं हुई है।
5. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी-अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अवमानना प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया।
6. स्वीकृत रूप से अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.2021 के क्रियाशील भाग में यह अंकित किया गया है कि :-

"In view of the above discussion it is clarified that the rules of 2015 as amended in 2018 cannot be enforced retrospectively for the vacancies of 2015-16. Ideally the department should have worked out the vacancies year-wise, prepare the seniority list year-wise and consider the cases of promotion and thereafter it could have carried forward the unfilled vacancies in terms of the rules issued by the DOP vide its order dated 4.6.2008. We therefore, deem it fit to direct the respondents to carry out a review DPC for the year 2015-16 as prayed and to consider the case of appellant by taking into account her

qualification and eligibility as under Rules of 1977 and as per seniority list dated 1.4.2014 wherein the name of the appellant appeared at S.No.50 and pass an order of promotion if she is found fit by the DPC, she may be considered for promotion.

The appeal stands disposed of accordingly."

7. यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अधिकरण ने प्रार्थी-अपीलार्थी की पूर्वोक्त अपील स्वीकार कर ऊपर वर्णित आदेश के अनुसार अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण को कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। इस प्रकार यह स्वतः स्पष्ट है कि अधिकरण के द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण ने अभी तक नहीं की है। अतः अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण के लिये यह आवश्यक था कि वे अधिकरण के आदेश की समयावधि में पालना करते या माननीय उच्च न्यायालय से इसकी क्रियान्विति पर कोई स्थगन आदेश प्राप्त करते। प्रिवी काउन्सिल के सर लॉरेन्स जेनकिन्स ने जसकर्ण बोइद बनाम पिरथीचन्द लाल (ए.आई.आर. 1918 पी.सी. 151) के प्रकरण में निम्न प्रकार अवधारित किया था :-

"whatever be the theory under other systems of law, under the Indian law and procedure an original decree is not suspended by the presentation of an appeal nor is its operation interrupted where the decree on appeal is merely one of dismissal. There is nothing in the Indian law to warrant the suggestion that the decree or order of the court or tribunal of the first instance becomes final only on the termination of all proceedings by way of appeal or revision."

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नूह (ए.आई. आर. 1958 एस.सी. 86) में प्रिवी काउंसिल के पूर्वोक्त निर्णय का अनुमोदन करते हुए निम्न मत व्यक्त किया था :-

"the filing of an appeal might put the decree or order in jeopardy but until it is reversed or modified it remains effective."

9. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति पी.डी.देसाई ने हंसराज धीर के प्रकरण (1985 Cri. L. J. 1030) में अवमानना प्रकरण के सिद्धान्तों की निम्न प्रकार व्याख्या की थी :-

"Once a case is decided, it is the bounden duty of the State and its subordinates to implement, with the utmost expedition, the said decision. In a Government which is ruled by law, there must be complete awareness to carry out faithfully and honestly the decisions rendered by courts of law after effective adjudication. Then only will private individuals, organisations and institutions learn to respect the decisions of courts. In absence of such attitude on the part of all concerned, chaotic conditions might arise and the functions assigned to the courts of law under the Constitution might be rendered a futile exercise. It requires to be emphasised, in this connection, that mere preferment of an appeal does not automatically operate as a stay of the

decision under appeal and that till an application for stay is moved and granted by the appellate court, or, in the alternative, the court which rendered the decision is moved and grants an interim stay of the decision pending the preferment of an appeal and grant of stay by the appellate court, the decision continues to be operative. Indeed, non-compliance with the decision on the mere ground that an appeal is contemplated to be preferred or is actually preferred, and that, therefore, the matter is subjudice, may amount to contempt of court punishable under the Contempt of Courts Act, 1971."

10. उक्त विनिश्चयों के आलोक में और प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विनम्र मतानुसार यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण ने इस अधिकरण के आदेश दिनांक 07.07.2021 की पालना न कर उक्त न्यायिक आदेश की अवमानना कारित की है। हम इस अवमानना प्रकरण को अधिकरण में लम्बित रखना उचित नहीं समझते हैं और इस प्रकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को Contempt of Courts Act, 1971 की धारा 10 के प्रावधान के क्रम में उपर्युक्त अवमानना कृत्य के लिए अवमाननाकर्ताओं के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु संदर्भित करना उचित समझते हैं।
11. उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी-अपीलार्थी के अवमानना प्रार्थना पत्र पर अधिकरण के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 10 के अन्तर्गत अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ, जयपुर को संदर्भित करावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)